

जन गर्जन

वर्ष 23 अंक 11 मासिक नई दिल्ली जुलाई 2009 विक्रमी संवत्-2066 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

संप्रग सरकार शिक्षा में बेलगाम सुधार कर रही है

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही सरकार के 100 दिन के एजेंडे के नाम पर जिस तरह की घोषणाओं का पहाड़ खड़ा करना शुरू किया है, वह एक गंभीर मसला है क्योंकि इन घोषणाओं में जो बातें कही जा रही हैं वे अपने मूल रूप में ही गड़बड़ और स्वेच्छाचारी हैं जिससे हमारी पूरी शिक्षा पद्धति के सामने संकट खड़ा हो जाएगा।

इन घोषणाओं साफ है कि उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली और करोड़ों गरीब छात्रों की संभावनाओं को नेस्तनाबूद करनेवाली इस तथाकथित नये प्रोग्राम की घोषणा करने से पहले राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से इस मुद्दे पर राय लेना उचित नहीं समझा। खासकर ऐसी स्थिति में जब शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। उदाहरण के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्री ने दसवीं की बोर्ड परीक्षा को खत्म करने की घोषणा की और उसे सीधे 12 की परीक्षा में जाने का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन मंत्री महोदय यह भूल गये कि देश के गरीब करोड़ों छात्र 12वीं की परीक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे छात्र तो 10वीं पास करने के बाद ही विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की तलाश शुरू कर देते हैं। मंत्री महोदय की इस योजना से ऐसे गरीब छात्रों को रोजगार खोजने और भविष्य का कैरियर बनाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। अधिसंख्य लोग इस कथित खोजी स्कीम की निंदा ही कर रहे हैं।

संप्रग सरकार की शिक्षा योजना की पोल आगे तब और खुलती है जब उसने शिक्षा के अधिकार के बारे में तरे व्यापक घोषणा की और बजट में इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए भी बहुत ही कम मद रखा। प्राथमिक शिक्षा के लिए 2009-10 के बजट में मात्र 200 करोड़ रुपये की ही वृद्धि की गयी है जो शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने के लिए बहुत ही कम है। संप्रग सरकार अभी तक पिछली बार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के भी उस बिन्दु तक नहीं पहुंच पायी है जिसमें शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी आबंटित करने की बात कही गयी है। शिक्षा का वैश्वीकरण और सबके लिए शिक्षा का अधिकार देने पर आजकल खूब शोर मच रहा है। लेकिन इसपर अमल होना अभी बाकी है। केवल कागजों पर नहीं जमीन पर। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आबादी का 30 फीसदी हिस्सा अभी भी साक्षरता की ज्योति से बहुत दूर ही है।

लेकिन कांग्रेस सरकार की नजर तो कहीं और है। शिक्षा क्षेत्र में सारे प्रयासों का लब्बो लुआब यह है कि एक कुलीन तबका पैदा किया जाए और फिर शिक्षा के मामले में समाज का स्पष्ट विभाजन करा देना है। शिक्षा के बारे में संप्रग सरकार का कुलीन एजेंडा, जिसकी वकालत हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जोर शोर से कर रहे हैं, छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह इतनी महंगी होनेवाली है कि देश के कुछ थोड़े से धनाढ्य लोगों के बच्चे ही इसे खरीदने में सक्षम हो सकते हैं। बाकी की विशाल आबादी तो इस महंगी विश्व स्तरीय शिक्षा का सपना भी नहीं देख सकती है। विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर भेदभाव मूलक व्यवस्था केवल हमारे समाज को गरीब और धनी की खाई को और चौड़ा किया गया है। शिक्षा में इस तरह का विचार हमारे उस संपूर्ण विकास के लक्ष्य को कभी नहीं छू पाएगा जिसका प्रचार संप्रग सरकार गला फाड़-फाड़ कर कर रही है।

इस पूरे मुद्दे का सबसे खतरनाक पहलू, जिसे सरकार ने देर से ही सही उजागर किया है, यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका से साठगांठ की जा रही है। जब सरकार गर्व के साथ जल्द ही विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक लाने की अपनी इच्छा का इजहार कर रही है, इससे पहले ही वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ गुपचुप समझौता कर चुकी है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय भारत आकर अपना कैंपस खोलें। एक बार ये कैंपस काम करना शुरू करेंगे नहीं कि वे हमारे नौजवान छात्रों के दिमाग में हमारी विरासत और परंपरा के बारे में अपने ढंग की सोच भरना शुरू कर देंगे। हमें इस समय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के शिक्षा के बारे में उस विचार को याद करना चाहिए जो मूलतः युवा पीढ़ी के बीच देशभक्ति की भावना भरने की बात करता है। जैसा कि सुभाष ने कहा था कि हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की परिस्थितियों में हम जापानियों के अनुभव को देख सकते हैं जिनकी पूरी युवा पीढ़ी राष्ट्रीयता की भावना और विचार से शून्य हो चुका है। इसका कारण भी अमेरिका द्वारा

उनके ऊपर थोपी गयी शिक्षा पद्धति ही है। जापान स्थिति अमेरिकी शिक्षा संस्थानों से ऐसे युवाओं की पीढियां निकल रही है जो न तो अपनी मातृभूमि के बारे में कुछ जानती है और न ही उससे प्रेम करती है। जापान को देर से ही सही, इस खतरे के बारे में अनुभव हुआ है और उसने इस अमेरिकापरस्त शिक्षा व्यवस्था को पलटने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन दुखद यह है कि आज जो जापान भुगत रहा है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री को उसका जरा भी भान नहीं है। पह लोगों की शंकाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और भारत में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उल्टे वह लोगों को ही दिमाग बदलने और अमेरिकी विश्वविद्यालयों का स्वागत करने की सीख दे रहे हैं।

मंत्री महोदय ने संप्रग सरकार की शिक्षा नीति की एकमुश्त व्यापक घोषणा की है जो हमारी शिक्षा के निजीकरण और उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करनेवाली है। हम इस खतरनाक शिक्षा सुधारों का कड़ा विरोध करते हैं और छात्र समुदाय से इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान करते हैं।

फारवर्ड ब्लॉक का इतिहास पाँच खण्डों में

केन्द्रीय कमिटी ने निर्णय लिया है कि 16वें पार्टी महासम्मेलन के अवसर पर अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का सम्पूर्ण इतिहास 5 भागों में प्रकाशित करेगी। यह ऐतिहासिक दस्तावेज भारत की आजादी को बचाने और मातृभूमि की रक्षा के लिये आजादी पूर्व और आजादी के पश्चात् फारवर्ड ब्लॉक की भूमिका और इसके नेताओं की भूमिका पर अत्यधिक प्रकाश डालेगा।

इस कार्य हेतु दस्तावेजों के संकलन और समन्वय के लिये चित्ता बसु रिसर्च फाउण्डेशन केन्द्र खोला गया है। साथी अशोक घोष, पार्टी के वरिष्ठ नेता इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया की देख-रेख करेंगे। इतिहासकारों, शिक्षा विदों और अनुसंधान विद्वानों की एक निपूण टीम इस योजना के लिये कार्य करेगी।

वरिष्ठ नेताओं, आजाद हिन्द फौज के पुराने सिपाही सदस्यों, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के पुराने सदस्यों, इतिहासकारों, स्वतंत्रता सेनानियों, लाईब्रेरीयन, अनुसंधान विद्यालयों और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रति आस्था रखने वालों आदि समाज के हर वर्ग आदि से अनुरोध है कि पार्टी से सम्बन्धित पुराने दस्तावेज और इसके पुराने नेताओं से सम्बन्धित दस्तावेज निम्नलिखित पते पर भेजें :

साथी अशोक घोष,
वित्त सचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक,
केन्द्रीय कमिटी
हेमन्ता बसु भवन
49/सी, चित्तरंजन एवेन्यु, कोलकाता-700012
फोन : 033-22473956

शांति और सामान्य विकास के लिये जनआन्दोलनों की भूमिका

डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद, केन्द्रीय सचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, उपाध्यक्ष ऑल इण्डिया पीस एण्ड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन

विश्व युद्ध (द्वितीय) के दौरान इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार आणविक हथियारों को शांति प्राप्त करने का निश्चित मार्ग उद्घृत किया था। परन्तु इस प्रकार का विचार स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि यह युद्ध की मानसिकता पर आधारित विचार रहा है। हम दृढ़ता पूर्वक विश्वास करते हैं कि युद्ध के विरोध में और अन्य क्षेत्रिय झगड़ों और आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध केवल शान्ति प्रिय लोगों के सतत् जागरूक प्रयास तथा शांति स्थापित करने वाले आन्दोलनों में सक्रिय सहभागिता के द्वारा ही शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। स्थायी शांति और विकास को और अधिक

मजबूती प्रदान किया जा सकता है। इसके लिये विभिन्न देशों की सम्बन्धित सरकारों या क्षेत्र विशेष में स्थित छोटे देशों का समूह को आपसी समझदारी और सहमत के आधार पर शांति और सामान्य विकास के लिये एकजुट होकर कार्य करना होगा।

एक देश से दूसरे देश के मध्य पारस्परिक सहमति या देशों के समूहों की बीच आपसी समझदारी और सहयोग जैसी बातें बहुत ही कम देखने में आती हैं जो सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इस संदर्भ में कुछ नाम उद्धृत किये जा सकते हैं जैसे पंचशील या भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये निर्मित पाँच सिद्धांत। इससे प्रेरित होकर आर्थिक रूप से शांतिपूर्वक एकीकृत क्षेत्र के निर्माण हेतु सार्क देशों के लक्ष्य, प्रगति हासिल करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य लाभ के लिये निर्मित एशियन समझौता, बंगाल की खाड़ी में सृजित मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकॉनामिक को-ऑपरेशन का निर्माण, विश्व स्तर पर सामान्य मुद्दों को लेकर क्षेत्र विशेष में जी-20 का निर्माण, स्थायी विकास को विकसित करने की समझदारी के साथ रूस-भारत-चीन का एकजुट होना, एक जैसी सामान्य नीति को ध्यान में रखकर निर्मित गुटनिरपेक्ष आन्दोलन रहा है। उपर्युक्त वर्णित पारस्परिक समझौते जो विभिन्न सरकारों के मध्य आपसी समझदारी से बनाये गये हैं।

विभिन्न सरकारों के द्वारा उठाये गये इन महत्वपूर्ण कदमों के बावजूद भी बहुत कुछ करने को बचता है और इस महती भूमिका के लिये जनता को आगे आने की जरूरत है। जब सरकार पारस्परिक विकास और शांति के लिये कदम उठाने में अनिच्छा जाहिर करे तब सम्बन्धित देशों के आम नागरिकों को क्षेत्र में शांति, विकास और सौहार्द स्थापित करने के लिये सामने आना चाहिये। दो पड़ोसी देशों के मध्य आम जनता के बीच मजबूत जनाधार का होना बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है। भारत-पाकिस्तान या भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश पिपुल्स फोरम का निर्माण जनता की महान भूमिका को शांति स्थापित करने हेतु रेखांकित करता है। ऐसी अवस्था में जब सम्बन्धित सरकारों की भूमिका शांति स्थापित करने की दिशा में नकारात्मक रहे, तब इन देशों की आम जनता के द्वारा संचालित शांति और सौहार्द के आन्दोलन को कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है। परन्तु वर्षों का इतिहास रहा है कि तरह-तरह के विरोधों और विपरित परिस्थितियों को झेलते हुये आम जनता ने क्षेत्रिय सामान्य विकास, सुरक्षा, शांति और सौहार्द की मजबूती से स्थापना करते हुये अपनी महान भूमिका अदा की है।

शांति आन्दोलन के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण तथ्य होता है, जिसकी प्रकृति नकारात्मक दिखती है, क्योंकि वह आम आदमी की सुरक्षा, शांति और विकास के मामलों को उजागर करने के साथ-साथ युद्ध और झगड़ों के द्वारा आम आदमी के जीवन में आने वाली विपदाओं को भी स्पष्ट रूप से इंगित करता रहता है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि झगड़ों की वजह से उत्पन्न होने वाले संकट को एक बार जब आम आदमी समझ जाता है तो उसे रोकने हेतु और इन जन-विरोधी झगड़ों के विरोध में एकजुट हो जाता है।

शांति आन्दोलनों से जुड़ा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक जीवन के स्तर पर साकारात्मक रूप से एक-दूसरे को लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया को बल मिलता है और इस प्रकार पूरा देश अपनी सहभागिता स्थापित करता है। भिन्न-भिन्न राजनैतिक सोच वाले लोग, विभिन्न धर्मों में बंधे लोग इन शांति आन्दोलनों को आगे बढ़ाने और संगठित करने में एक साथ हाथ बंटा सकते हैं। विभिन्न देशों और क्षेत्रों की जनता को शांति आन्दोलनों के विकास हेतु तैयार करने में हमारी लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिवद्धता एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य कर सकती है।

इस शांति आन्दोलन मुख्य रूप से प्रकार की भूमिका अदा करता है। एक तरह यह क्षेत्रिय शांति और सुरक्षा को विकसित करता है और दूसरी तरफ स्थायी विकास की नींव रखता है। हम कुछ उन तथ्यों की ओर प्रकाश डाल सकते हैं जिनसे इन आन्दोलनों को संगठित करने में सुविधा हो सकती हो। उदाहरण के तौर पर शांति आन्दोलनों को मजबूती प्रदान करने के लिये निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जा सकता है : (1) प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, (2) विचारों के आदान-प्रदान और नये और नवप्रवर्तनशील कदमों के द्विपक्षीय संगोष्ठियाँ, (3) पर्यटन को प्रोत्साहित कर मित्रता विकसित करना, (4) क्षेत्र के देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संरचना का अध्ययन और जानकारी हेतु सहभागिता, (5) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उच्च स्तरीय वैचारिक आदान-प्रदान, (6) एक-दूसरे के साहित्य का अनुवाद कर प्रकाशन करना, (7) क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को शांति पुरस्कार प्रदान करना, (8) क्षेत्र की जनता के जीवन और सांस्कृतिक को दर्शाने वाले द्विभाषी डॉक्यूमेंटरी चलचित्रों के विकास के लिये कार्य करना।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के अलावा शांति और स्थायी विकास विकसित करने के लिये कुछ अन्य कदम क्षेत्र के देशों को उठाने चाहिये। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं: (1) आपसी देशों के लाभ हेतु संसाधनों में सहभागिता, (2) एक-दूसरे के लाभ हेतु विशेषज्ञों के विचारों का आदान-प्रदान, (3) विद्युत-उर्जा परियोजनाओं की स्थापना, (4) बाँध, राजमार्गों और जन-उपयोगी सेवाओं का निर्माण। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सहभागी देश, शांति, सुरक्षा और स्थायी विकास के लिये कार्य करें तो एक अनुकूल माहौल का सृजन होगा।

शांति आन्दोलन में जनता की भूमिका मुख्य रूप से आपसी क्षेत्रों तथा पूरे विश्व में शांति और स्थायित्व को स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करती है। इस प्रकार सहयोगी देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सृजन होता है।

.....
जुलाई 2009 में बीजींग में आयोजित चीन-भारत-रूस पीस फोरम में प्रस्तुत प्रपत्र

भारत-अमेरिका साझा बयान : वामपंथी दलों की चिंताओं की पुष्टि

अमेरिका की राज्य सचिव श्रीमती हिलेरी क्लिंटन और भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णन के साझा बयान साफ तौर वामदलों की उन चिंताओं को दुरुस्त करता है जो भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बहस दौरान उन्होंने जताये थे।

एनएसजी से संदेशों और हाल ही में संपन्न हुये जी-8 देशों की बैठक के बाद जो नतीजा सामने आया है वह कि संवर्धन, पुनःपरिष्करण प्रौद्योगिकीकरण और सामरिक आरक्षण के मुद्दों पर संसद में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य गलत थे।

एण्ड यूज मॉनिटरिंग समझौता हमारी संप्रभुता के समझौते के सिवा और कुछ नहीं था।

अब यह साबित हो चुका है कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौता भारत में सिर्फ उर्जा उत्पादन करने के लिये नहीं है बल्कि यह 2005 में तैयार डिफेन्स फ्रेमवर्क एकरारनामा है। भारत को अमेरिका का कुटनीतिक साझेदार बनाकर भारत को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रोलिफिनेशन सिक्यूरिटी इनिशिएटिव (पी.एस.आई.), यूएस मिसाइल टेक्नॉलाजी एण्ड कंट्रोल रिजीम (यूएसएमटीसीआर) और फिसाइल मेटिरियल कट ऑफ ट्रेडी (एफएमसीटी) का हिस्सा बनाकर भारत के महत्वपूर्ण योजनाओं को कमजोर करने की अमेरिका की एक सुनियोजित जीत है। इस पर प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया इस पर आश्वासन भी पथभ्रष्ट है।

इस साझा एकरारनामे के जरिये, अत्यधिक विवादित एनपीटी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये अमेरिका भारत पर चौतरफा दबाव बनायेगा और ईरान विरोधी मशीन के रूप में इस्तेमाल करेगा।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का यह दृढ़ मत है कि इस एकरारनामे के साथ बढ़ने भारत की संप्रभुता गिरवी रख दी जायेगी और भारत की असैन्य परमाणु कार्यक्रम को संवेदनशील बनाकर आने वाले दशकों में भारत को अमेरिका ब्लैकमेल करेगा।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक मांग करता है कि इस एकरारनामे का पूरी तरह से खात्मा हो, क्योंकि यह न केवल यह हमारे राष्ट्रीय हितों के लिये हानिकारक है बल्कि पर यह भारत की गैर-समझौतावादी विदेश नीति के खिलाफ भी है।

बीजिंग में तीन देशों के पीस फोरम की बैठक

सात सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल सेमिनार में शामिल

शांति, विकास, स्थिरता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को लेकर चीन-भारत-रूस पीपुल्स पीस फोरम द्वारा बीजिंग में 10 और 11 जुलाई को सेमिनार का आयोजन किया गया। चीनी पीपुल्स एसोसिएशन फॉर पीस एंड डिसार्मामेंट (सीपीएपीडी), ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी आर्गेनाइजेशन (एआईपीएसओ) और रूसी सोसायटी ऑफ अफ्रो-एशियन पीपुल्स सॉलिडरिटी एंड कोपरेशन (आरएसएएपीएससी) ने संयुक्त तत्वावधान में इस सेमिनार का आयोजन किया था।

इस सेमिनार में भारत से सात सदस्यीय और रूस से तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिरकत की। चीन से कुल 12 प्रतिनिधि सेमिनार में शामिल थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक के केंद्रीय सचिवमंडल के सदस्य और एआईपीएसओ के उपाध्यक्ष डॉ. वरुण मुखर्जी के अलावा पल्लव सेनगुप्ता, निलोत्पल बसु, रॉबिन देब, के. जादव रेड्डी (मिजोरम) और जे. कुरुप (केरल) शामिल थे।

प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्रों में बहुध्रुवीय विश्व और वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, चीन की भूमिका, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास में भारत और रूस की भूमिका, वैश्विक आर्थिक मंदी और इसका निराकरण, चीन, मंदी के दौरान भारत और रूस के बीच बढ़ता सहयोग, स्थायी विकास के प्रोत्साहन में पीपुल्स पीस मूवमेंट का योगदान आदि। सेमिनार के बाद सदस्यों ने वहां के विशेष आर्थिक क्षेत्र और इको सिटी तियानजिन का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने बीजिंग सिटी और चीन की दीवार, ओलंपिक गांव का भी दौरा किया। फोरम का अगला सम्मेलन रूस में होगा।

15वीं लोकसभा चुनाव की समीक्षा

अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय समिति की 11 से 13 जून तक बैठक हुई जिसमें 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों की समीक्षा की गयी।

जनादेश को पूरे सम्मान के साथ शिरोधार्य करते हुए पार्टी का मानना है कि कांग्रेस को फिर से सत्ता दिलाने में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा गठबंधनों की स्थिरता, विश्वशनीयता और उनके कार्यक्रमों के बारे में फैले भ्रम ने काफी मदद किया। भाजपा के अल्पसंख्यक विरोधी अभियान और दिशाहीन व नकारात्मक अभियान और शत्रुतापूर्ण भाषणों ने लोगों को नाराज कर दिया और इसका लाभ भी कांग्रेस को सत्ता वापसी में मिला। जहां तक वामदलों द्वारा गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों को मिलाकर तीसरा मोर्चा बनाने की पहल की गयी थी, वह सही थी लेकिन गलत यह हुआ कि इस मोर्चे में शामिल वामपंथी व अन्य पार्टियां इसे एक व्यवस्थित रूप देने में असफल रहीं। मोर्चे के घटक शासन सत्ता का राष्ट्रीय विकल्प के रूप में भी खुद को स्थापित करने में नाकाम रहे। मोर्चे के नेताओं ने ने कोई राष्ट्रव्यापी अभियान भी संयुक्त रूप से नहीं चलाया। इन सारी कमियों के कारण लोगों के बीच तीसरे मोर्चे की

विश्वसनीयता को लेकर भ्रम फैल गया। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा द्वारा मीडिया के एक वर्ग के समर्थन से तीसरे मोर्चे के खिलाफ चलाया गया जबर्दस्त अभियान भी तीसरे मोर्चे को क्षति पहुंचाने में सफल हो गया।

यह भी एक तथ्य है कि चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में कोई राष्ट्रव्यापी रुझान नहीं रहा। कांग्रेस ने उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बड़ी संख्या में वोट और सीटें खोयी हैं। लेकिन उसने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और उत्तराखंड में उसने अपनी अच्छी बढ़त भी बनाई। इसके अलावा कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में अपने वर्चस्व को बनाये रखा। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति बेहतर बनी। लेकिन यहां यह दोहराना भी जरूरी है कि यह कोई राष्ट्रीय प्रवृत्ति नहीं रही। यहां यह बताना भी उचित होगा कि वामदलों के जबर्दस्त दबाव के कारण संप्रग सरकार द्वारा बनाये गये नरेगा, आरटीआई, वन कानून, कृषि िण आदि से संबंधित लोकप्रिय कानूनों का सीधा फायदा भी कांग्रेस को मिल गया। हालांकि कांग्रेस वित्तीय कारणों से इन कानूनों को लागू करने के पक्ष में नहीं थी।

वामदलों ने 14वीं लोकसभा चुनाव के बाद आपसी सहमति के आधार पर बने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। इसके बाद जब- 'जब सरकार ने इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये वायदों से मुकरने की कोशिश की तो वामदलों ने उस पर जबर्दस्त दबाव बनाया और सरकार को पटरी पर वापस आने को मजबूर किया। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, विश्व व्यापार संगठन समझौता, सांप्रदायिक तत्वों के प्रति नरम रुख, कृषि क्षेत्र को पैकेज देने में आनाकानी, रोजगार गारंटी स्कीम के प्रति उदासीनता, ग्रामीण विकास के लिए भारत निर्माण योजना लागू न करने आदि के खिलाफ वामदलों ने सरकार पर दबाव बनाया और इन्हें करने पर मजबूर किया।

लेकिन जब केंद्र की संप्रग सरकार अमेरिका के साथ परमाणु करार पर दस्तखत कर रणनीतिक साझेदारी करने पर अमादा हो गयी, तब वामदलों के सामने इस सरकार से समर्थन वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। तब भी वामदलों ने इस मुद्दे पर संप्रग के साथ एक साल से अधिक तक बातचीत किया और जब कोई चारा नहीं रहा तब जाकर समर्थन वापस लिया था। यहां यह कहना आवश्यक है कि वामदलों ने सरकार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत स्पेशिक सेफगार्ड समझौता करने की अनुमति देकर भारी रणनीतिक गलती की थी। कांग्रेस के लिए वामदलों के साथ सारी बहस को खत्म करने और समझौता तोड़ने के लिए राजनीतिक माहौल तैयार करने की दिशा में यह अनुमति एक तरह से बड़ा सहायक दांव साबित हुआ। अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक ने इसे समझ लिया था और इससे अन्य वामदलों को भी समय रहते आगाह कर दिया था। लेकिन वे इस कांग्रेसी छल को नहीं समझ पाये और कांग्रेस और उसके द्वारा पूरी डील से सम्मानजनक तरीके से बाहर आने के वायदे पर विश्वास किये रखा।

फॉरवर्ड का अब भी मानना है कि भारत-अमेरिकी परमाणु समझौता हमारी मातृभूमि के हितों को बुरी तरह से प्रभावित करनेवाला है और इसने अमेरिका के समझ हमारी संप्रभुता को गिरवी रख दिया है। लेकिन वामदल इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में भी चूक गये। देश में कहीं भी चुनाव अभियान के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाना मुनासिब नहीं समझा।

उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस को इस चुनाव में कुल पड़े मतों का मात्र 28.52 फीसदी ही मिला, जो 2004 में हुए लोकसभा चुनाव से 3 फीसदी अधिक है। उस समय कांग्रेस को 26.53 फीसदी वोट मिले थे। कांग्रेस को इस बार 206 सीटें मिली हैं जो पिछले चुनाव में मिली सीटों से 61 अधिक हैं। एक तथ्य यह भी है कि इस देश पर 50 से अधिक वर्षों तक शासन कर चुकी कांग्रेस को कुल पड़े मतों का 50 फीसदी वोट भी कभी नहीं मिला है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में कांग्रेस को अब तक का सर्वाधिक वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ था जो 49.1 फीसदी था। इस बार के चुनाव में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के वोट प्रतिशत में 3.33 फीसदी की गिरावट आयी है और उसे केवल 18.83 फीसदी वोट ही मिल पाये। 2004 में भाजपा को 22.16 फीसदी वोट मिले थे। भाजपा को इस बार कुल 116 सीटें मिली हैं जो पिछले चुनाव में मिली सीटों से 22 कम हैं। इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस को वे सभी वोट भी नहीं मिल पाए जो भाजपा से छिटके। इसका एक मतलब यह भी है कि कांग्रेस और भाजपा को मिलाकर केवल 47.35 फीसदी वोट ही मिले। 2004 के चुनाव में इन दोनों पार्टियों को कुल पड़े मत का 48.69 फीसदी मिले थे। इससे साफ है कि गैर कांग्रेस- गैर भाजपा पार्टियों और निर्दलीयों ने इस बार 52.65 फीसदी वोटों पर कब्जा जमाया। यह लोकतंत्र का एक यह दुखद पहलू भी बताना जरूरी लगता है कि देश में कुल मतदाताओं के मात्र 58 फीसदी ने ही वोट डाला है। 42 फीसदी मतदाताओं ने पोलिंग बूथों पर जाना भी उचित नहीं समझा। यह प्रवृत्ति हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत देती है।

कांग्रेस संबंधित तथ्यों का अपने पक्ष में उपयोग कर अल्पसंख्यकों का वोट जुटाने में सफल हो गयी। हालांकि कांग्रेस ने ही अपने लंबे शासनकाल के दौरान अनेक हथकंडे अपनाकर अल्पसंख्यकों को नुकसान ही पहुंचाया है। मालेगांव विस्फोट मामले से संबंधित विहिप और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की पहल से भी अल्पसंख्यकों के मन में कांग्रेस के प्रति एक बार फिर विश्वास जम गया। अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने को लेकर कांग्रेस उनके बीच चैंपियन इसलिए भी बनी कि उसने सच्चर समिति की रिपोर्टों को स्वीकार किया और 15 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ ही इस समिति की रिपोर्ट पर एक्शन प्लान की घोषणा कर दी। इसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस देश की 121 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों में से पहले की जीती 12 सीटों को बढ़ाकर 42 करने में भी सफल रही। हालांकि मुस्लिम सांसदों के मामले में 15वीं लोकसभा का रिकार्ड पहले के 36 के मुकाबले मात्र 28 रह गया जो चिंताजनक बात है।

इधर, भाजपा ने पिछली बार के मुकाबले इस बार 22 सीटें खोयी हैं। उसकी सीटें 138 से घटकर 116 रह गयी हैं। चुनाव परिणाम से यह साबित हो गया है कि भाजपा डूबती हुई नैया है और उसकी सीटें और वोट प्रतिशत दोनों में भारी गिरावट आयी है। यह वही पार्टी है जिसने 1998 में 182 सीटें जीती थी और उसे कुल पड़े मतों का 25.59 फीसदी मत मिले थे। 1999 में इसने फिर 182 का आंकड़ा दोहराया जबकि उसे 23.75 फीसदी वोट मिले। लेकिन 2004 में

इसकी सीटें घटकर 138 पर आ गयीं और वोट प्रतिशत 22.16 पर। इस बार तो 116 सीटों के अलावा उसका वोट और भी घटकर 18.80 फीसदी रह गया। भाजपा के इस पराभव का मुख्य कारण यह रहा है कि उसने सांप्रदायवाद की घृणित राजनीति के अलावा जनता को और कुछ नहीं दिया है। भाजपा लगभग सभी प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। इसमें ग्लोबलाइजेशन, सार्वजनिक संपत्तियों का विनिवेश, श्रम कानूनों को खत्म करना आदि शामिल हैं। जहां तक अमेरिका नीत साम्राज्यवादी नीतियों के सामने दंडवत मुद्रा अपनाने का सवाल है, यहां भी भाजपा कांग्रेस की ही पिछलग्गू बनी रही है। इस तरह से उसने यह साबित कर दिया है कि उसमें और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने केवल बिना बात के मुद्दे जैसे, मजबूत और कमजोर प्रधानमंत्री, संप्रग में बिखराव, कांग्रेस की खेमेबंदी, राम मंदिर आदि का ही बखेड़ा खड़ा किया। इसके साथ ही वरुण गांधी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण, भाजपा में नये प्रकार के नेतृत्व का उद्भव और लालकृष्ण आडवाणी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी को प्रस्तुत कर इस पार्टी ने अपना मर्सिया पढ़ लिया। चुनाव परिणाम के दूसरे पहलू के तौर पर सपा, बसपा, राजद, लोजपा आदि जातिवादी मध्यममार्गी पार्टियों की भारी पराजय रही है। ये वही पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन के गर्भ से हिन्दी पट्टी में कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरी थीं। इन पार्टियों में अग्रिम कतार के अधिकांश नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के अनुयायी कहे जाते हैं। शुरुआत में पूर्ण समाजवादी का नारा देकर इन्होंने वामपंथी पार्टियों के सदस्यों और समर्थकों को भी आकर्षित किया। लेकिन जैसे ही एक बार अपने-अपने राज्यों की सत्ता में ये आयीं, उन्होंने अपने समर्थक लोगों को ही नजरंदाज करना शुरू कर दिया। सत्ता में रहते हुए इन पार्टियों ने नेताओं ने घोर मौकापरस्ती का परिचय दिया। इन पार्टियों का वामदलों द्वारा शुरू किये गये गैर भाजपा- गैर कांग्रेसी जन विकल्प के प्रति कोई रूचि नहीं रही बल्कि ये सत्ता में रहने का जुगाड़ खोजती रही हैं। इस बार जनता ने इन सबको खारिज कर दिया।

इस चुनाव में कॉरपोरेट घरानों, पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी ताकतों की भूमिका के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। वामदलों ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की उदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने से हमेशा रोके रखा था। यह सच्चाई है कि उदारीकरण के कारण गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत चौड़ी हुई और यह खतरनाक प्रवृत्ति है। 2004 में जब संप्रग सरकार सत्ता में आयी थी तो उस समय देश में केवल 8 अरबपति हुआ करते थे। लेकिन इस सरकार के शासनकाल में इनकी संख्या बढ़कर 54 हो गयी। यहां दूसरा पहलू यह भी है कि अर्जुन सेनगुप्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार, देश की 77 फीसदी आबादी औसतन 20 रुपये प्रतिदिन से भी कम पर अपना गुजर-बसर करती है।

वामदलों ने इस उदारीकरण के नाम पर पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का किये जानेवाले शोषण और असमानता का उग्र विरोध किया है। वामदलों ने हमारे घरेलू और विदेश नीतियों के मामले में बढ़ते साम्राज्यवादी दखलंदाजी का भी कड़ा प्रतिरोध किया है। भारत-अमेरिकी परमाणु करार, खुदरा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और वित्तीय उदारीकरण के मुद्दे पर वामदलों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ अनवरत संघर्ष जारी रखा है। इसलिए पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों ने इस चुनाव में अपने दलालों को जिताने और वामदलों को परास्त कराने के लिए पैसे से लेकर हर हथकंडे को अपनाया और सक्रिय भूमिका निभायी है।

वाममोर्चे को इस चुनाव में गहरा झटका लगा है। 2004 के आम चुनाव में इस मोर्चे के कुल 60 सांसद लोकसभा में थे जो इस बार घटकर 36 रह गये हैं। पश्चिम बंगाल में मोर्चे की 20 सीटें और केरल में 15 सीटें कम हुई हैं। मोर्चे की इस करारी शिकस्त में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ कुछ राज्य स्तरीय मुद्दों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

केरल

केरल में वाममोर्चे की पराजय का सबसे बड़ा कारण वहां वाम जनवादी मोर्चे (एलडीएफ) के घटक दलों के बीच गहरा मतभेद रहा है। केरल की एलडीएफ सरकार और एलडीएफ आपसी समन्वय के अभाव में लोगों के बीच अपनी उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ठीक से प्रचार नहीं कर पायी। चुनाव के ऐन पहले एलडीएफ के घटकों के बीच उपजे मतभेदों से यह साबित हुआ कि कम से कम सीट बंटवारे के मामले में एलडीएफ और यूडीएफ (कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) के बीच कोई खास फर्क नहीं है। इस पराजय में एलडीएफ के खिलाफ विभिन्न समुदायों का इकट्ठा हो जाना भी एक कारण रहा है। मदनी की पीडीपी से जुड़े एसएनडी लवलिन केस मामले और माकपा नेताओं की अंदरूनी खींचतान ने एलडीएफ को चुनाव प्रचार में रक्षात्मक भूमिका अपनाने पर मजबूर कर दिया। 2004 के चुनाव में एलडीएफ ने केरल की कुल 20 सीटों में से 18 पर झंडा फहराया था। लेकिन इस बार वह मात्र 4 सीटों पर सिमट गया। उसका वोट प्रतिशत भी 2004 के 46.08 के मुकाबले गिरकर 41.69 फीसदी पर आ गया। हालांकि जहां तक वोट संख्या का सवाल है एलडीएफ को पिछली बार के मुकाबले मात्र 2 लाख वोट ही कम मिले। केरल में वैसे तो हर चुनाव में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता परिवर्तन होता रहता है लेकिन इस बार वोटों के मामले में हुए परिवर्तन परंपरा के अलग जाकर हुए हैं। केरल में एलडीएफ को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की करारी हार के कारणों पर नजर दौड़ाएं तो पाते हैं कि औद्योगिकीकरण के बारे में भ्रम, जमीन का अधिग्रहण और वाम नेताओं की नौकरशाही पर अत्यधिक भरोसा और आश्रित होना यहां सबसे अहम रहा है। वाममोर्चे और इसकी सरकार की छवि को नंदीग्राम की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने भी धूमिल किया। राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाम विरोधी ताकतों की मदद से तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, माओवादी, अलगाववादी और अन्य वाम विरोधी ताकतों ने एकजुट होकर वाममोर्चे और उसकी सरकार को बदनाम करने का जबर्दस्त अभियान चलाया।

2004 के चुनाव में वाममोर्चे को 50.72 फीसदी वोट और 35 सीटें पश्चिम बंगाल में मिली थीं। लेकिन 2009 में वोट प्रतिशत 43.30 पर सिमट गया

तो सीटें मात्र 15 ही मिल पायीं। वोटों में जहां 7.42 फीसदी का नुकसान हुआ वहीं पिछली बार से 20 सीटें भी कम हो गयीं। सबसे गंभीर बात यह है कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से वाममोर्चा 195 सीटों पर पिछड़ गया।

पश्चिम बंगाल प्रशासन की सुस्त प्रवृत्ति और वाममोर्चा सरकार की गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए किसी नयी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने की अक्षमता ने भी वाममोर्चा सरकार की वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रति लोगों में गंभीर संदेह को बढ़ाया। वैसे देशभर के लोग पश्चिम बंगाल को सांप्रदायिक उन्माद से दूर रखने के लिए वहां की सरकार की प्रशंसा करते हैं। लेकिन नंदीग्राम की घटना ने मुस्लिम किसानों के एक वर्ग को वाम मोर्चे से दूर किया। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थित के बारे में सच्चर समिति के खुलासे ने इस संदेह और विकृति को और बढ़ाया। ज्ञातव्य है कि 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में मुसलमानों की आबादी 23.6 फीसदी है और सच्चर समिति की रिपोर्ट में लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों का बहुत ही कम प्रतिनिधित्व बताया गया है। वाम की शिकस्त में दलितों और आदिवासियों की दुरावस्था ने भी काफी योगदान किया। राज्य में इन दोनों वर्गों की कुल आबादी 30.6 फीसदी (दलित- 23.6 फीसदी और आदिवासी- 7 फीसदी) है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्र के गिरते स्तर आदि पश्चिम बंगाल सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाते ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 32 सालों से सत्ता पर काबिज वाम सरकार पूरे देश के लिए रोल मॉडल के रूप में उभरने में भी विफल रही है। पूंजीवाद समर्थक नीतियों, विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर दोहरी चाल, मानव संसाधन के विकास को नजरंदाज करना आदि प्रवृत्तियों ने आम जनता में वाम विरोधी भावनाओं को और भड़काया। वाम दलों के नेताओं के वर्तमान चाल, चरित्र, चिंतन, चेहरे और महात्वांकाक्षा ने नेतृत्व का एक नया वर्ग पैदा कर दिया जो पूरी तरह से वामपंथ का विरोधी है। आम लोग इस तरह के वर्ग को स्वीकार नहीं कर पाए और इससे लगातार दूर होते चले गये। पश्चिम बंगाल के शक्तिशाली बौद्धिक वर्ग में दोफाड़ के कारण मध्यवर्ग के बीच वाम विरोधी प्रवृत्ति पनप गयी। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि शुरू से अब तक राज्य कवूपदा प्रगतिशील बौद्धिक जगत वाम के साथ रहता आया था। लेकिन वाम दलों की योजनाओं, नीतियों और प्रवृत्तियों ने इस वर्ग को इनसे दूर होने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल के वाम नेताओं के वर्ग चरित्र में इसी तरह का परिवर्तन केरल में भी हुआ है। वाम नेताओं में इस तरह के वाम विरोधी वायरस को तत्काल दूर करने की जरूरत है।

केरल के एलडीएफ और पश्चिम बंगाल के वाममोर्चे को इस चुनावी झटके से सीख लेनी चाहिए। स्थिति को सकारात्मक रूप से संभालने के लिए गंभीर और खुले प्रयास होने चाहिए। पार्टी कैंडिडेटों और नेताओं को लगातार जनता के संपर्क में रहना चाहिए। सत्तामद को छोड़ना चाहिए। मोर्चे के घटकों को भी आपसी में संपर्क को और घनिष्ट करना चाहिए और एक-दूसरे की भावनाओं और विचारों की कद्र करनी चाहिए।

यहां यह ध्यान देने की बात है कि जब देश भर में कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में वामदल अधिक से अधिक क्षेत्रीय, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दलों को एकसाथ लाने की कवायद कर रहे थे, ठीक उसी समय वे कई राज्यों में वाम दलों के बीच आपसी तालमेल करने में ही नाकाम रहे। क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव तालमेल करते समय बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में माकपा और भाकपा ने फॉरवर्ड ब्लॉक समेत सभी वाम दलों को नजरंदाज किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में वाम दल अलग-अलग ही चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय में इस तरह की अनेकता से लोगों के बीच गलत संदेश गया और लोगों ने हमारे वाम, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष एकता के नारे को अस्वीकार कर दिया।

वाम दलों ने इस दौरान बहुत से मुद्दे उठाये और उन्हें लागू करने के लिए सरकार पर जबर्दस्त दबाव भी बनाया। लेकिन महंगाई, किसानों की आत्महत्याएं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य कव व्यवसायीकरण गांवों कव विद्युतीकरण, सिंचाई आदि के बारे में सरकार ने वाम के सुझावों को नहीं माना। लेकिन वाम दल भी इसके खिलाफ व्यापक पैमाने पर आंदोलन चलाने में नाकाम रहे। वामदलों को अपनी इस गलती को सुधारना होगा और अगले चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ने के अलावा सरकार के लिए जनान्दोलन चलाना होगा, चाहे इसका जो परिणाम हो। अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक कव यह मत है कि यह वक्ती झटका है, जिससे हम सबको स्व निरीक्षण कव मौका मिला है। यह परिणाम वामपंथ के खिलाफ नहीं है, यह वाममोर्चे के खिलाफ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आत्मनिरीक्षण से ही वाम दलों को अपनी खोई जमीन वापस नहीं मिलने वाली है। इसके लिए गंभी, व्यापक सोच और पारदर्शी कवर्यक्रम अपनाने की जरूरत है, खासकर माकपा को। क्योंकि यही वाममोर्चे की नेतृत्वकारी पार्टी है। फॉरवर्ड ब्लॉक आनेवाले दिनों में और व्यापक स्तर पर जाकर चुनाव परिणामों की गहरी छानबीन करेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का विश्वास है कि देश भर में बेहतर ढंग से समन्वित वाममोर्चा ही वर्तमान वाम समन्वय कव विकल्प हो सकता है। पार्टी कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ एक स्थिर और राजनीतिक जन विकल्प तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी।

फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय समिति त्रिपुरा में वाम मोर्चे के उम्मीदवारों की बड़ी सफलता पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करती है।

11-13 जुलाई 2009 को कोलकाता में आयोजित अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की बैठक का प्रस्ताव

सांप्रदायिक जूनून की आग को भड़काने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाये

लिब्राहन आयोग, जो 6 दिसम्बर 1992 के बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जाँच के लिये बनी थी, ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने 17 सालों का लंबा समय लिया और इसे अंतिम रूप देने में 48 बार एक्सटेंशन लिया। इससे यह प्रकाश में आता है कि सरकार ने इस आयोग की कार्यविधि पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च कर दिये।

बाबरी मस्जिद का विध्वंस भाजपा के शीर्ष नेताओं की शह पर हिन्दू कट्टरवादियों द्वारा किया गया एक जघन्य कृत्य था। इस ऐतिहासिक ढाँचे के विध्वंस के इरादे से आगे बढ़ रहे कार सेवकों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरा सहयोग दिया, जो कि हमारी धर्मनिरपेक्ष परंपरा के विरुद्ध था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने संघ परिवार के प्रति एक नरम रवैया अपनाया, जो कि धार्मिक कट्टरपंथियों को ऐसा जघन्य करने के लिये अप्रत्यक्ष समर्थन था। भाजपा, बजरंग दल, आर.एस.एस., शिव सेना के कई नेतागण और संघ परिवार के अन्य के सदस्य जैसे एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, विनय कटियार, साध्वी ऋतुम्बरा भी इस अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये कहा कि भाजपा नीत एनडीए सरकार ने कभी भी आयोग के साथ सहयोग नहीं किया और इसके अलावा लखनऊ सचिवालय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे। इससे लगता है कि यही ताकत जाँच के भी तोड़-फोड़ की कोशिश में लगा था। अतः रिपोर्ट को स्वीकार करने या दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की देरी से संघ परिवार को फिर से सांप्रदायिक जूनून की आग को भड़काने के लिये अन्य अवसर प्रदान करेगा। अखिल हिन्दू फारवर्ड ब्लॉक सरकार से आग्रह करती है कि बिना किसी देरी के सरकार लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश करें।

6 दिसम्बर 1992 को हुये बाबरी मस्जिद की बर्बर तोड़फोड़ की जाँच के खुलासे के लिये लिब्राहन आयोग की जाँच की रिपोर्ट को देश के सामने उजागर करने के लिये अखिल हिन्दू फारवर्ड ब्लॉक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का आयोजन करेगी। आयोग ने इसकी जाँच के लिये 17 वर्ष का लंबा समय लिया, 48 बार एक्सटेंशन लिया गया और कुल 8.25 करोड़ रूपये खर्च हुये इसकी जाँच के लिये। इस अपराध के गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिये।

(11-13 जुलाई 2009 को कोलकाता में आयोजित अखिल हिन्दू फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की बैठक का प्रस्ताव)

उग्र वामपंथवाद के बढ़ते कदम

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिला के लालगढ़ की हाल की घटनायें दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं, जिसे टाला जा सकता था। इस क्षेत्र में पुनः सरकारी आधिपत्य स्थापित करने के लिये प्रयुक्त पुलिस कार्यवाही, जिसमें पुलिस द्वारा गोलीबारी और बदले में हुयी गोलीबारी ने इस पूरे घटनाक्रम में निहित राजनैतिक षड्यन्त्र को उजागर कर दिया। लालगढ़ क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में झारखण्ड और उड़ीसा की सीमा के साथ लगा हुआ है।

लालगढ़ पश्चिमांचल उन्नयन परिषद (पश्चिम क्षेत्र विकास परिषद) का एक भाग है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 हुयी थी, जिसकी जिसमें 74 ब्लॉक है। यह क्षेत्र आदिवासी और संथाल बहुल है। यहाँ अधिकांश लोग वन जीवी और छोटे किसान है। राज्य सरकार ने पश्चिमांचल उन्नयन परिषद के संपूर्ण विकास के लिये 50 करोड़ रुपये आवंटित किये है। राजनैतिक रूप से यह क्षेत्र वामदलों, विशेष रूप में माकपा का गढ़ रहा है। ब्रिटिश काल में संथाल विद्रोह के नायक बिरसा मुण्डा, सिद्धो कानो और तिल्का मांझी की महान विरासत पर ये लोग गर्व करते हैं। ये लोग हमेशा वामदलों में विश्वास व्यक्त करते रहे हैं और कभी भी वाम विरोधी शक्तियों के प्रवेश को रोकते रहे हैं।

इस क्षेत्र में पश्चिमांचल उन्नयन परिषद के गठन के बाद और 32 वर्षों तक बिना अवरोध के वामदलों का शासन होने के बावजूद भी पूरे राज्य में यह सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र के लोग बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, यातायात और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और क्षेत्र के स्थानीय नेताओं के षड्यन्त्रकारी रवैये के कारण जनजातियों के कल्याण हेतु जारी की गयी केन्द्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इस क्षेत्र के गरीबों को राहत प्रदान करने में असफल रही क्योंकि यह प्रणाली ठेकेदारों और कालाबाजारियों के नियन्त्रण में रही। जनजातिय लोग नरेगा योजना के अन्तर्गत रोजगार पाने से भी वंचित रहे। यह प्रशासनिक विफलता, जागरूक और पारदर्शी राजनैतिक हस्तक्षेप का अभाव के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध एक सामाजिक और अस्थिरता उफन पड़ी। विपक्षी दलों, झारखण्ड के दलों और सीपीआई (माओवादी) के दखल से सामाजिक अस्थिरता के वातावरण को बढ़ावा मिला।

अस्थिरता का यह वातावरण और भी भयानक हो गया, जब राज्य के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय इस्पात मंत्री के ऊपर लालगढ़ के निकट कालीचंद स्थान पर 2 नवंबर 2008 को हत्या का असफल प्रयास किया गया। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी और हत्या के असफल प्रयास से जुड़े

अनेक जन-जातीय लोगों को पकड़ा। माओवादियों के भड़काने से स्थानीय लोगों ने पुलिस के विरुद्ध हिंसक आन्दोलन छेड़ दिया। उन लोगों ने स्थानीय पुलिस थाना पर आक्रमण किया और आग लगा दिया। उन लोगों ने सरकारी अधिकारियों को कार्यालयों में प्रवेश नहीं करने दिया और सीमाओं की सड़क पर घेराबंदी कर दी। पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारण कर्मिटी (पिपुल्स कर्मिटी अगेन्स्ट पुलिस एट्रोसिटिज - पीसीएपीए) की छत्र छाया में माओवादी कार्य कर रहे थे। पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारण कर्मिटी को तृणमूल कांग्रेस की मौन सहमति मिली हुयी थी। पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारण कर्मिटी ने लालगढ़ को "मुक्त क्षेत्र" घोषित कर दिया और लोगों से सरकारी आदेशों की हर हालत में अवहेलना करने को कहा। पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारण कर्मिटी और तृणमूल कांग्रेस ने इस क्षेत्र को दूसरा नंदीग्राम बनाने की कोशिश किया और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के इस क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिये सड़कों में गड्ढे खोदे और सड़कों पर पेड़ काटकर सड़कों पर रूकावटें पैदा की। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सहयोग मांगा और अर्द्ध सैनिक बलों की मदद से माओवादियों पर नियन्त्रण करने का प्रयास किया। राज्य सरकार पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के द्वारा 20 दिनों तक अभियान चलाने के बाद पुनः लालगढ़ क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर सकी।

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वामदलों के मजबूत गढ़ होने के बावजूद कैसे माओवादियों ने इसे "मुक्त क्षेत्र" घोषित कर दिया? कैसे राज्य सरकार जनजातीय लोगों की तकलीफों पर ध्यान देने में विफल रही? कैसे इस क्षेत्र के लोगों ने वामदलों विशेष रूप से माकपा और इसकी सरकार में अपनी आस्था खो दी? कैसे पश्चिमांचल उन्नयन परिषद जनजातियों की भलाई करने में विफल रहा? इस क्षेत्र को आवंटित कल्याणकारी धन का क्या हुआ? अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का यह स्पष्ट मत है कि राज्य सरकार इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिये जिम्मेवार है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कोई लोकतंत्र माओवादी तरीके की हिंसा और "मुक्त क्षेत्रों" की घोषणा बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता की तकलीफों और समस्याओं के निदान के रूप में माओवादियों की कार्यप्रणाली की अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक पुरजोर खिलाफत करता है। लोकतंत्र में जनता के तकलीफों को हल करने के अनेक रास्ते होते हैं। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के दृष्टिकोण से माओवादी, नक्सलवादी और चरम वाम आन्दोलकारी महज कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये शक्तियाँ धूर्तता पूर्वक जनता के असंतोष को भुनाकर अपना राजनैतिक विस्तार करती है। हमारा यह विश्वास है कि इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से समस्या हल नहीं होगी। इसे सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में देखना होगा। सम्बन्धित सरकारें इन विषयों पर कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सहयोगों से रास्ता निकालने का प्रयास करें।

यह सच है कि क्रम से आने वाली सरकारों द्वारा जारी आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के चलते गरीब-अमीर के बीच की खाई दिन-प्रतिदिन गहरी होती जा रही है।

गरीब जनता और उपेक्षित होती जा रही है और अपने सभी लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित होती जा रही है। इस बढ़ती असमानता ने आन्दोलित जनता को विश्वास से भर दिया जिससे वे सत्ता के विरोध में उठ खड़े हुये और हिंसा के मार्ग पर चल पड़े। भारत सरकार के रिकार्ड के मुताबिक देश के 604 जिलों में से 165 जिलें नक्सल-माओवाद से प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने गये हैं। योजना आयोग के विशेषज्ञ लोग इस उभार को एक राजनैतिक आन्दोलन के रूप में देखते हैं, जिससे गरीब और भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी लोग जुड़ते रहे हैं। नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की विफलतायें मुख्य रूप से इन आन्दोलनों के लिये जिम्मेवार है। यद्यपि माओवादी आन्दोलन एक वृहद् राजनैतिक दर्शन की वकालत करता है, परन्तु वे स्थानीय विकास, प्रशासनिक खोखलापन, राजनैतिक दमन, समानता और न्याय जैसे चुनिंदा विषय ही उठाता है। इस तरह उन्हें स्थानीय जनता का कुछ समय के लिये सहयोग मिल जाता है। विपक्षी दल राज्य सरकारों को अस्थिर बनाने के अपने राजनैतिक एजेंडों के लिये ऐसे आन्दोलनों को सहयोग करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में अजमाया गया 'सलवा जुडुम' नमूना और पुलिस कार्यवाही की ज्यायदती इस समस्या का हल नहीं है। इस समस्या का निदान राजनैतिक रूप से अवश्य ही ढूंढना चाहिये। इन सबके बावजूद भ्रमित गरीब जनजातीय लोग हमारे वर्ग दुश्मन नहीं हैं। अतः उनके असंतोष और विद्रोह को राजनैतिक स्तर पर निपटाना चाहिये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक गरीब और आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ है। फारवर्ड ब्लॉक अपने अग्रगामी आदिवासी संगठन और दलित आदिवासी संघर्ष समिति के साथ आदिवासियों और दलितों के अधिकारों के लिये अनेक आन्दोलन चला चुका है। हम सभी को मिलजुल कर ऐसे आन्दोलनों को मजबूती प्रदान करना चाहिये।

(11-13 जुलाई 2009 को कोलकाता में आयोजित अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कर्मिटी की बैठक का प्रस्ताव)

निजीकरण के लिये एक प्रस्तावना : रेलवे बजट

रेलमंत्री सुश्री ममता बैनर्जी द्वारा पेश किया गया, रेलवे बजट 2009-10 में देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठान को पूरी तरह से भारतीय रेलवे को निजीकरण करने के लिये एक प्रस्तावना था।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, नई गाड़ियों, योजनाओं और प्रसारण का स्वागत करते हुये यह मंत्री महोदया से आग्रह करना है कि यह सभी घोषणायें भविष्य में मात्र सपना बनकर न रह जायें। इस प्रकार की अवास्तविक घोषणाओं से यात्रियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय रेलवे के

मौजूदा बुनियादी ढाँचे में कुछ घोषणायें जैसे डबल डेकर ट्रेन, ट्रेनों का नॉन-स्टॉप आदि बातें अवास्तविक लगती हैं। जब तक रेलवे की विशाल लाईनों में रूपांतरण न हो जाये, नये मार्गों, नयी लाईनों, विद्युतीकरण, पुलों आदि का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इन योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सकता।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक यात्री किराये में वृद्धि नहीं किये जाने और रेलवे में भूमी बैंक बनाने के लिये स्वागत करता है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक रेलवे मंत्री द्वारा भारतीय रेलवे की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने के लिये स्वागत करती है। इससे यह पता चलता है कि 2004-08 के दौरान लाभ दर्शाने के दावों के बावजूद भी भारतीय रेलवे को भारत सरकार से वित्तीय सहायता लेने की आवश्यकता क्यों है।

(11-13 जुलाई 2009 को कोलकाता में आयोजित अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की बैठक का प्रस्ताव)

शहीद खुदीराम बोस के संस्मरण में कार्यक्रम:

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक शहीद खुदीराम बोस के 101 वें जन्मदिवस पर एक जन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 11 अगस्त 2009 को मुजफ्फरपुर, बिहार में आयोजित किया जायेगा। ऑल इण्डिया यूथ लीग और ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स ब्लॉक देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस चिरस्मरणीय कार्यक्रम की बड़ी सफलता के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

बजट का लक्ष्य बड़े पैमाने पर विनिवेश और निजीकरण

2009-10 के आम बजट का लक्ष्य बड़े पैमाने पर लाभप्रद सार्वजनिक इकाईयों में विनिवेश को बढ़ावा देकर आर्थिक घाटे को पूरा करना है। राष्ट्रीय सम्पत्तियों को बेचकर सरकारी खर्चों को पूरा करना एक विवेकपूर्ण आर्थिक विज्ञान नहीं है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निजी निवेश का प्रस्ताव रखा है।

कुल खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन, ब्याज भुगतान का बढ़ता आबंटन, रक्षा व्यय, छठा वेतन आयोग और अन्य योजना रहित कार्यक्रमों के लिये खर्च की आवश्यकता सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से भी अधिक की आवश्यकता है। अतः सरकार को विकास कार्यों को पूरा करने के लिये निजी ऋणों पर निर्भर होना पड़ेगा।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक बुनियादी सुविधाओं के विकास के पहल का स्वागत करता है। लेकिन विस्तृत रूप से अध्ययन करने पर तथ्य सामने आता है कि यह विकास कार्य विभिन्न मौजूदा योजनाओं का ही सम्मिलित रूप है। इस उद्देश्य के लिये प्रस्तावित एक लाख करोड़ रुपये का आबंटन इस परिस्थिति में एक अच्छा संकेत है। लेकिन निजी-सार्वजनिक-भागीदारी निवेश की पद्धति अपनाते से आम व्यक्ति पर बोझ बढ़ जायेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एक्ट (नरेगा), जो यूपीए सरकार में वामदलों के दबाव के कारण आरम्भ हुआ था, के लिये आबंटन कम है। इस योजना को शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाने की जो मांग थी उसे उपेक्षित कर दिया गया। नरेगा के लिये वर्ष 2009-10 के लिये 39,100 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 2006-07 में जब वाम दलों का यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन था तब नरेगा के लिये आबंटित राशि 56,500 करोड़ रुपये था।

बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिये भी कुछ खास नहीं किया गया। हमारे देश के कई राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के लिये सस्ते दामों पर चावल और गेहूँ उपलब्ध कराने की योजना चल रही है। लेकिन बजट में इसकी विसंगतियों को समाप्त करने पर मौन है। नकारात्मक मुद्रास्फिति के दौर में आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों की जाँच के लिये बजट में कोई ठोस योजना नहीं बनायी गयी।

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के लिये आबंटन इसकी जरूरतों के बिल्कुल आधे है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछली सरकार को आई.सी.डी.एस. को सर्वव्यापी बनाने के लिये कहा था और इसके लिये कई अंतिम तिथिया भी दी थी। इसे पूर्णतः लागू करने के कम से कम 12,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन 2009-10 के बजट में आई.सी.डी.एस. के लिये कुल आबंटन मात्र 6000 करोड़ रुपये है।

कृषि के लिये आबंटन पर्याप्त नहीं है। 4 प्रतिशत की दर से कृषि ऋण उपलब्ध कराने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। निजी बैंकों और साहूकारों से किसानों द्वारा लिये गये ऋण को खत्म करने की मांग को सीधे तौर पर नकार दिया गया। कृषि पर प्रस्तावित खर्च में वृद्धि केवल 1588 करोड़ रुपये है। कृषि, जो देश में 60 प्रतिशत से अधिक रोजगार प्रदान करता है, के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनॉमिक सर्वे) 2008-09 के मुताबिक,

सकल घरेलू उत्पाद में 2007-08 कृषि (इससे जुड़े अन्य कार्य भी सम्मिलित हैं) का योगदान 17.8 प्रतिशत था जबकि 2003-04 में यह 21.3 प्रतिशत था। इससे यह तथ्य सामने आता है कि इन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान को अनदेखा किया गया। इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश है। केन्द्र सरकार ने 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद का 10.3 प्रतिशत खर्च कृषि पर किया था अब यह 2008-09 में घटकर 2.62 प्रतिशत हो गया है। किसानों को उर्वरक में आर्थिक सहायता की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वित्त मंत्री ने इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर मौन रहे।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये आबंटन बहुत ही अल्प है, जब शिक्षा के अधिकार का बिल संसद में लंबित है। शिक्षा के लिये उपयुक्त आर्थिक मदद न देने की प्रवृत्ति से इस क्षेत्र के निजी खिलाड़ियों को अधिक से अधिक कमाई के लिये सुविधा प्रदान करना है।

ध्रुवीय आर्थिक संकट के कारण बेरोजगार हुये अप्रवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिये भी बजट में कुछ भी नहीं बताया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 से पता चलता है कि खनन और उत्खनन, संप्रदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं को छोड़कर विकास में कमी का दौर सभी क्षेत्रों में फैल गया। बजट में वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों का सामना करने के लिये कोई ठोस योजना नहीं बनायी गयी। फ्रॉज बेनिफिट टैक्स (एफबीटी - अनुषंगी हितलाभ कर) के समापन से नियोक्ताओं को लाभ हो सकता है, लेकिन मजदूरों को नहीं।

वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के माध्यम से कर छूट को न छूकर निगमित घरानों (कार्पोरेट हाउस) को लाभ पहुँचाने का भरसक प्रयास किया है।

वित्त मंत्री ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये कोई भी योजना नहीं बनायी। बजट में लघु उद्योगों, देशी और परंपरागत उद्योगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) और मालापुरम (केरल) में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आरंभ करने की योजना और पश्चिम बंगाल में आये आयला तूफान पीड़ितों के लिये 1000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का स्वागत करती है।

सामान्य तौर पर, आर्थिक उदार नीति पर आधारित यह कांग्रेस (आई) द्वारा जारी यह एक सतत् बजट है।

(11-13 जुलाई 2009 को कोलकाता में आयोजित अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की बैठक का प्रस्ताव)

महँगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान

आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम विशेष खाद्य सामग्रियों के बढ़ती कीमतें जनता के लिये असहनीय हो गयी है। सभी दालों की कीमतें इतनी बढ़ गयी है कि उनकी कीमत 80 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो के बीच हो गयी है, जिसे आम आदमी खरीदने में असमर्थ हो गया है। खाद्य तेल, सब्जियाँ, चावल, गेहूँ और अन्य खाने योग्य आइटम बिना किसी देरी के बढ़ गयी और बढ़ती जा रही है।

यह बढ़ती महँगाई भी संप्रग सरकार की पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ाने के कठोर निर्णय के कारण हो रहा है। कई राज्यों में मानसून न आने की संभावनाओं के कारण भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयी।

वामदलों ने निर्णय लिया है कि वे बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार के विरुद्ध साझा प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और सरकार से यह मांग करेंगे कि जल्दी ही आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये।

वामदल अपने-अपने पार्टी इकाईयों को दिशा निर्देश कर रहे हैं कि वे एक साथ मिलकर राज्य में जनता को शामिल करके बढ़ती कीमत के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन करे। मुख्य मांगे इस प्रकार हैं:

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये दाल और खाद्य तेल में अनुदान देकर सस्ती कीमत पर उपलब्ध करायी जाये।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाये और बीपीएल कोटा को बढ़ाया जाये तथा एपील कोटा के आवंटन में सुधार करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाये।
3. पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी को वापस लिया जाये।
4. खाद्य पदार्थों की आइटमों में हो रहे वाणिज्य को भविष्य में समाप्त किया जाये।

(वामपंथी दल फारवर्ड ब्लॉक के महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास, सीपीएम के महासचिव साथी प्रकाश करार, सीपीआई के महासचिव साथी ए.बी. वर्द्धन और आरएसपी महासचिव टी.जे. चन्द्रचूडन द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान।)

आम आदमी के साथ धोखा

‘कांग्रेस नेतृत्व ने आम आदमी की स्थिति को सुधारने का वादा किया था’। लेकिन संप्रग सरकार के 4 वर्ष बीत गये, जनता बढ़ती कमरतोड़ महँगाई से कराह रही है। चावल, गेहूँ, खाने योग्य तेल, दाल, सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत आसमान को छू रही है। उदाहरण के लिये वर्ष 2004 और वर्ष 2008 के बीच चावल के दाम 46 प्रतिशत, गेहूँ के दाम 62 प्रतिशत, सरसों तेल के दाम 42 प्रतिशत चना के दाम 47 प्रतिशत और यहाँ तक की नम के दाम भी 42 प्रतिशत तक बढ़ गये।

सरकार पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के दाम सात बार बढ़ा चुकी है। 2004 और 2008 के बीच पेट्रोल के दाम लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ गये, डीजल के 60 प्रतिशत बढ़े और रसोई गैस के दाम 58 प्रतिशत तक बढ़े।

सरकार ने वाम पंथी पार्टियों की मांगों को अस्वीकार कर दिया, जो इस प्रकार थी:

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाये ताकि सभी के पास राशन कार्ड हो।
2. आवश्यक वस्तुओं की व्यवसायीकरण बन्द किया जाये।
3. कालाबाजारियों और जमाखोरों पर पाबन्दी लगायी जाये।
4. पेट्रोलियम पदार्थों से टैक्स कम किया जाये।
5. निजी रिफायनरियों टैक्स की छूट को खत्म किया जाये।

बढ़ती महँगाई के खिलाफ 25 से 31 जुलाई 2009 तक जन आन्दोलन

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक 25 से 31 जुलाई 2009 तक आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों के खिलाफ देश व्यापी साप्ताहिक जन आन्दोलन का संचालन करेगा। यह बड़े दुःख की बात है कि जब राष्ट्र में मुद्रास्फिति का रिकार्ड घट रहा है तब सामान्य वस्तुओं की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधे हुये हैं और इसे रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठा रही है। बाजार में सरकार की दखलअंदाजी न होने के कारण जमाखोर, कालाबाजारी और बिचौलिये जनता का शोषण कर रहे हैं। सरकार महँगाई घटाने के लिये तुरन्त ही प्रभावशाली, मजबूत और कारगर कदम उठाये।

मुफ्त और अच्छी शिक्षा सभी के लिये उपलब्ध करायी जाये

केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 100 दिनों के एजेंडे के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यापक सुधारों की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा घोषित व्यापक सुधारों की नीति से सिर्फ शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण और कालाबाजारी ही नहीं बढ़ेगा इसके साथ-साथ मौजूदा शैक्षिक व्यवस्था का विस्थिरीकरण भी होगा। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा भी एक विषय है। लेकिन राज्य शिक्षा मंत्रियों से किसी चर्चा या सलाह के ही केन्द्रीय मंत्री ने एकतरफा सुधार की घोषणा कर दी। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी सुधार के लिये सरकार को राज्य के शिक्षा मंत्रियों, सांसदों, शैक्षणिक संस्थानों, इतिहासकारों आदि से परामर्श करना चाहिये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक केन्द्रीय कमिटी 20 अगस्त 2009 को शैक्षणिक सुधारों के सम्बन्ध में एक सम्मेलन का आयोजन करेगी। जिसमें राजनैतिक हस्तियाँ, शिक्षक, इतिहासकार और छात्रों के प्रतिनिधी सम्मेलन में भाग लेंगे।

सभी छात्रों, अध्यापकों, शैक्षणिक संस्थानों, समाज के हर वर्ग की जनता से अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार का सम्मेलन, चर्चा, सेमिनार, संगोष्ठी आदि का आयोजन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिये स्थानीय स्तर पर आयोजन करें।

ऐतिहासिक अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का 16वां पार्टी महासम्मेलन

कोलकाता में 17 से 21 दिसम्बर 2009 को आयोजित होने वाली पार्टी के महासम्मेलन के तैयारियों के प्रति केन्द्रीय कमिटी ने संतोष व्यक्त किया। पार्टी सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र का आयोजन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित ऐतिहासिक 'महाजाति सदन' (महान राष्ट्रीय सभागार) में किया जायेगा।

पार्टी महासम्मेलन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

- (क) सदस्यता नामांकन और नवीनीकरण प्रक्रिया 31 जुलाई 2009 तक पूरे हो जाने चाहिये। सभी राज्य इकाईयों से अनुरोध है कि सदस्यों की अंतिम सूची फी सहित केन्द्रीय कार्यालय को तुरन्त भेज दें।
- (ख) सभी राज्य इकाईयों से अनुरोध है कि सदस्यों की समुचित स्कैनिंग रिपोर्ट अवश्य भेजें। रिपोर्ट में सदस्य की पृष्ठभूमि, वर्ग संगठन और सामाजिक गतिविधियों की व्याख्या की जानी चाहिये।
- (ग) सदस्यता की अंतिम सूची 1 अगस्त 2009 को प्रकाशित की जायेगी।
- (घ) सभी नीचली इकाईयों से अनुरोध है कि सम्मेलन के लिये नीचे दी गयी समय सारणी का पालन करें, जो कि पहले भी वितरित किया जा चुका है :

शाखा सम्मेलन	अगस्त 2009
स्थानीय सम्मेलन	सितम्बर 2009
जिला सम्मेलन	अक्तूबर 2009
राज्य सम्मेलन	नवम्बर 2009

निम्नलिखित संगठनात्मक सिद्धांतों को भी पुनः दोहराया जाता है, जो इस प्रकार हैं:

- (क) स्थानीय सम्मेलन के लिये कम से कम तीन शाखा सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिये।
- (ख) जिला सम्मेलन के लिये कम से कम तीन स्थानीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिये।
- (ग) राज्य सम्मेलन के लिये कम से कम तीन जिला सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिये।
- (च) पार्टी की सभी इकाईयों से अनुरोध किया जाता है कि कार्यालय पदाधिकारी का चुनाव से पूर्व सदस्य की क्षमता, राजनैतिक समझ और सामाजिक दक्षता जाँच अवश्य की जाये।
- (छ) पार्टी महासम्मेलन का एक सत्र विदेशी साथियों को और एक सत्र राष्ट्रीय वाम नेताओं को समर्पित की जायेगी।
- (ज) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मसौदा प्रस्ताव 31 अगस्त 2009 को प्रकाशित की जायेगी।
- (झ) राज्य कमिटियों से अनुरोध है कि अपने राज्य की वर्तमान सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक परिस्थिति के अनुसार अलग दस्तावेज का प्रकाशन करें और इसे पार्टी महासम्मेलन के प्रस्तावों के साथ इसकी भी चर्चा की जानी चाहिये।
- (ञ) सभी नीचली इकाईयों से अनुरोध है कि से सम्मेलन हेतु फण्ड एकत्र करें और केन्द्रीय कार्यालय को भेज दें। सभी सदस्य भी पार्टी महासम्मेलन फण्ड के लिये दान दें।
- (ट) महासम्मेलन के प्रतिनिधि शुल्क 50/- रुपये होगी।
- (ठ) सभी नीचली इकाईयों से अनुरोध है कि पार्टी महासम्मेलन का प्रचार आरम्भ कर दें। वाल राईटिंग, पोस्टर, प्रेस वक्तव्य, बैनर आदि द्वारा प्रचार आरम्भ करें।
- (ड) पार्टी की सभी इकाईयों से अनुरोध है कि पार्टी सदस्यों और कैंडिडों को दस्तावेजों के तैयारी, सम्मेलनों के आयोजन और कमिटियों की स्थापना सम्बन्धि जानकारी के लिये शैक्षिक कक्षाओं का आयोजन तुरन्त करें।
- (ण) सभी से अनुरोध है कि सम्मेलन के स्थान और दिनांक की सुनिश्चित होने के पश्चात इसकी सूचना केन्द्रीय कार्यालय को दें।

सार्वजनिक उपक्रमों और रेलवे की रिक्त पदों को भरा जाये

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय रेलवे में रिक्त स्थानों को तुरन्त भरने के लिये सरकार पर दबाव डालने हेतु अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी ने जन आन्दोलन करने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य सूत्रों के हवाले से जानकारी हुई है कि सार्वजनिक उपक्रमों और रेलवे में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, जो कि इन सार्वजनिक संस्थानों के प्रदर्शन को बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और रेलवे की भर्ती पर अघोषित प्रतिबंध लगाया गया है। इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये केन्द्रीय सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिये।

पार्टी सभी से अनुरोध करती है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और रेलवे कार्यालयों के समक्ष रैलियों और धरना-प्रदर्शन का आयोजन करें। ऑल इण्डिया यूथ लीग की इकाईयों को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिये विशेष कदम उठाये चाहिये और इस आन्दोलन को सफल बनाये।

नाम बड़े और दर्शन छोटे :

सरकार की बातें बड़ी-बड़ी, लेकिन कार्य उसके उलट

किसानों और असंगठित मजदूरों के प्रति सरकार द्वारा कठोर रवैया अपनाये जाने के कारण अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी किसानों और असंगठित मजदूरों का राष्ट्रव्यापि आन्दोलन करेगी। देश की सकल घरेलू उत्पाद में किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन केन्द्रीय सरकार इनके लिये सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करती है, और किसानों और असंगठित मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पर बजट के आवंटन में भारी कटौती करती है। सरकार को कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना चाहिये और 4 प्रतिशत

की दर से कृषि लोन उपलब्ध कराना चाहिये। निजी उधारदाताओं आदि से किसानों द्वारा लिये गये कर्जे से सरकार को छूटकारा दिलाना चाहिये और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये और अत्यधिक वित्त की व्यवस्था करनी चाहिये। असंगठित मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा बिल को जल्दी ही संशोधन करके उसे पारित किया जाना चाहिये।

इस आन्दोलन के लिये हमारा नारा होगा 'कृषि बचाओ, देश बचाओ, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराओ'।

पार्टी सभी से अनुरोध करती है कि किसानों और मजदूरों से सम्बन्धित मुद्दों पर किसान-मजदूर रैलियों और सम्मेलनों का आयोजन स्थानीय स्तर पर करें।

टी.यू.सी.सी. के इतिहास में अस्मरणीय क्षण

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का 98 वाँ अधिवेशन का आयोजन 2 जून 2009 से 19 जून 2009 तक स्वीजरलैण्ड के जेनेवा में आयोजित किया गया। भारतीय दल में त्रिपक्षीय - मजदूर प्रतिनिधी, नियोक्ता प्रतिनिधी और सरकार के प्रतिनिधी - दल ने इस अधिवेशन में शिरकत किया। मजदूर प्रतिनिधी के रूप में देश के केन्द्रीय ट्रेड यूनियन टीयूसीसी, एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, बीएमएस, एचएमएस, आइएनटीयूसी के प्रतिनिधी, नियोक्ता की ओर से फिक्की, एसोचेम, एआईईओ, आईईओ, एआईएमओ के प्रतिनिधी और भारत सरकार की ओर से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय रोजगार एवं श्रम मंत्री, भारत सरकार के अलावा श्रीमती सुधा पिल्लई (सचिव रोजगार एवं श्रम मंत्रालय), श्री एस. कृष्णन (विशेष सचिव - रोजगार एवं श्रम मंत्रालय), श्री एस.के. श्रीवास्तव (अतिरिक्त सचिव रोजगार एवं श्रम मंत्रालय) आदि ने अधिवेशन में भाग लिया।

टी.यू.सी.सी. के इतिहास में यह अस्मरणीय क्षण था क्योंकि इसकी स्थापना के पश्चात् यह पहला अवसर था जब टी.यू.सी.सी. को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की ओर से निमन्त्रण प्राप्त हुआ। टी.यू.सी.सी. की ओर से सम्मेलन का प्रतिनिधित्व संगठन के राष्ट्रीय महासचिव साथी एस.पी. तिवारी ने किया।

इस त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 167 देशों के 2599 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति माननीय श्री निकोलस सारकोजि के साथ माननीय श्रीमती गोंजालवेस कारचेनार (राष्ट्रपति अर्जेन्टिना), माननीय श्री लुला डे सिल्वा (राष्ट्रपति ब्राजील), माननीय श्री बान की मून (महामंत्री संयुक्त राष्ट्र) आदि सहित 17 विभूतियों सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश के श्रम एवं रोजगार, समजिक सुरक्षा मंत्री श्री खाण्डेकर हुसैन ने किया। 3 जून 2009 को सम्मेलन के आरम्भिक सत्र में आईएलओ के महासचिव श्री जुआन सोमाविया ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सामूहिक रूप से चर्चा के लिये गठित चार समितियों को विषयानुसार कागजात उपलब्ध कराये। सभी सुझाव और बदलाव ग्रहण करने के लिये इस सम्मेलन सत्र में किया गया। वे चार कमिटियाँ थी - (1) अप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड, (2) क्राइसिस ऑन होल, (3) एच.आई.वी./एड्स एण्ड वर्ल्ड ऑफ वर्क और (4) जेण्डर इक्वेलिटी एट दी हॉर्ट ऑफ डिसेन्ट वर्क। टी.यू.सी.सी. के महासचिव साथी एस.पी. तिवारी ने एच.आई.वी./एड्स एण्ड वर्ल्ड ऑफ वर्क कमिटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन के दौरान वे कई ट्रेड यूनियन के नेताओं से मिले और उन्हें टी.यू.सी.सी. का इतिहास और क्रियाकलाप की विवरणिका बाँटी। इस सम्मेलन की रिपोर्ट को अपनाया गया और इसके निष्पादन के लिये अगली मीटिंग में चर्चा की जायेगी।

देश तीन - लक्ष्य एक : बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम ऐतिहासिक अगस्त क्रान्ति की याद में देश भर के कोने-कोने में 9 अगस्त से 21 अगस्त 2009 तक कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। 9 अगस्त 2009 को जवाहर फाण्डेशन, अमीनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नागरिक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जायेगा। 10 अगस्त 2009 को प्रतिनिधि के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों और इस्लामिया कॉलेज के छात्रों का पारस्परिक संवादात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। 12 अगस्त 2009 को कोलकाता में ऑल इण्डिया यूथ लीग और जातीयवाद युवा परिषद द्वारा स्वागत किया जायेगा।

13 अगस्त 2009 को किदरपुर के कबीरतीरथ में एक जन सभा का आयोजन किया जायेगा जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ नागरिक, युवा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, सांस्कृतिक कार्यकर्ता आदि भी सम्मिलित रहेंगे। कबीरतीरथ के सिटीजन फोरम द्वारा भी एक जनसभा का आयोजन किया जायेगा। 14 अगस्त 2009 को उल्टाडंगा, कोलकाता के आईसीमार्ड में तीन देशों की मीटिंग का आयोजन किया जायेगा। कोलकाता में विभिन्न स्थानों जैसे गरियाहाट, हाजरा, चौरंगी, धर्मतला, सुबोध मलिक स्क्वेयर, राजा बाजार और श्यामबाजार में 15 अगस्त 2009 को रोड शो में प्रतिनिधि भी हिस्सा

लेंगे। प्रथम स्वतंत्रता ध्वजारोहण की याद में 16 अगस्त 2009 को दोपहर 2 बजे साधना स्मृति उद्यान, राजाबाजार में ध्वजारोहण समारोह किया जायेगा।

16 अगस्त 2009 को सायं 4 बजे इण्डियन एसोसिएशन हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य होगा 'देश तीन - लक्ष्य एक'

भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम के नेतागण कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

सरकार की नीतियों के विरुद्ध सतत् और आक्रामक आंदोलन की आवश्यकता

(टी.यू.सी.सी. केन्द्रीय कमिटी की बैठक की समीक्षा)

ध्रुवीय संकट, मौजूद इकाईयों को मजबूत करने और सुचारू करने संबंधी मुद्दों, अनियमित क्षेत्रों में युनियन हेतु पंजीकरण और सदस्यता अभियान, विभिन्न फेडरेशनों के सम्मेलनों का आयोजन, दो दिनों का प्रशिक्षण शिविर के आयोजन, पुस्तकों के प्रकाशन आदि के संदर्भ चर्चा के लिये आयोजित की जाने वाली कोलकाता में 13 जुलाई 2009 टी.यू.सी.सी. की केन्द्रीय कमिटी बैठक से पूर्व केन्द्रीय सचिव की बैठक बैंगलौर में 2 जुलाई 2009 को आयोजित की गयी।

नौकरी में कटौती, कार्य करने के समय में कटौती, मजदूरी में कटौती और भारतीय मजदूरों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से निर्माण, परिधान, ज्वैलरी, हीरा और अन्य असंगठित मजदूरों आदि जिनका की भारतीय आर्थिक बाजार में एक बहुत बड़ा योगदान है, की मौजूदा गंभीर परिस्थितियों पर एकमत रूप से चर्चा की गयी। विकसित राज्यों ने अपनी आर्थिक संस्थाओं और कमजोर कारपोरेटों के लिये राहत पैकेजों की घोषणा की इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने आर्थिक संकट के दौर में सार्वजनिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय उद्योगों को फायदा पहुँचाने के नाम पर सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने हवाई घोषणायें कर रही है। लेकिन ये राहत पैकेज भी उनके लिये नहीं है जो वास्तव में मन्दी से पीड़ित है बल्कि यह उनके के लिये है जिनके कारण यह संकट आया।

एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 30/32 लाख कामगार अपनी नौकरी गवां चुके है, जो अभी इस वर्ष के अन्त तक और वैश्विक स्तर पर बढ़कर 50 लाख हो सकती है। इससे प्रभावित लोगों में 65 मिलियन लोग पहले ही अपनी नौकरी खो चुके है और वर्ष के अन्त तक यह आंकड़ा 100 मिलियन को पार कर सकता है। काम से प्रभावित लोग वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश की गयी डिम बजट में टकटकी लगाये अपने लिये राहत की उम्मीद लगाये बैठे थे, उनके उनके सारे सपने बिखर गये, क्योंकि प्रभावित कामगार लोगों के लिये इस बजट में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं था, यहाँ तक कि सबसे कमजोर वर्ग असंगठित क्षेत्रों के लिये भी किसी भी प्रकार का मुआवजे को नजरअंदाज कर दिया गया, उनके कल्याण के लिये या सामाजिक सुरक्षा के लिये कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया।

कामगार जनता और उनके प्रतिनिधियों को अस्वस्थ वातावरण और उनके रहने की दशा से सबक लेकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध सतत् और आक्रामक आंदोलन आरम्भ करना चाहिये ताकि नियोक्ताओं को पूँजी बनाने के लिये जो विशाल जन अपना पसीना बहाता है वह भी सुनहरा जीवन जी सके।

सभा ने निर्णय लिया गया कि भारत की अक्टूबर 2009 में नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर केन्द्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दो दिवसीय लीडरशीप कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। केन्द्रीय कमिटी टी.यू.सी.सी. के इतिहास का विमोचन इस वर्ष के अन्त तक करेगी। टी.यू.सी.सी. की केन्द्रीय कमिटी भारत के अनियमित क्षेत्र के कामगारों पर एक पुस्तक का विमोचन आगामी दिनों में करेगी।

सभा की अध्यक्षता टी.यू.सी.सी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी जी.आर. शिवशंकर ने की।

फारवर्ड ब्लॉक ने जनअदालत का आयोजन किया

बाघमारा प्रखण्ड मुख्यालय के समक्ष बृहस्पतिवार को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने जन अदालत का आयोजन किया। जिसमें दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रखण्ड के विभिन्न हिस्सों से आये ग्रामीणों ने अपनी तकलीफों, मांगों व शिकायतों को जन अदालत में रखा। फारवर्ड ब्लॉक के नेता हंजलाबिन हक की अध्यक्षता में आयोजित इस जन अदालत में पार्टी के वरिय नेतागण व ऑल इण्डिया यूथ लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी मोइनुद्दीन शम्स, लीग के झारखण्ड राज्य प्रभारी शेख सुल्तान, शेख रेहान आदि उपस्थित थे। जन अदालत में ग्रामीणों ने इंदिरा आवास, लाल कार्ड, वृद्धा, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पेयजल समस्या, बिजली समस्या, शिक्षा व चिकित्सा समस्या से जुड़ी मांगों व शिकायतों को रखा। फारवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने ग्रामीणों द्वारा रखी गयी मांगों व शिकायतों को सूचीबद्ध करके बाघमारा प्रखण्ड के बिडीओ को सौंप

दिया गया।

फावरड ब्लॉक के नेताओं ने उक्त मांगों व शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये स्थानीय प्रशासन को 29 जुलाई तक का समय देते हुये चेतावनी दी है। मोइनुद्दिन शम्स ने कहा कि राज्य में अराजकता की स्थिति है इनका निपटारा नहीं किया गया तो पार्टी 30 जुलाई को बाघमारा में प्रखण्ड व्यापी चक्का जाम आंदोलन करेगा।

इससे पहले फावरड ब्लॉक के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे जुलूस की शक्ल में प्रखण्ड कार्यालय पर पहुँचा और वहाँ एक जन अदालत में परिवर्तित हो गया। जिसमें मुख्य रूप से गुड्डू रवानी, मोहन रवानी, अशरफ आलम, नरेश चौहान, इकबाल खान, शिक रखान, करण कर्मकार, चित्तरंजन चौधरी, नंदूकाजी, निजाम अंसारी आदि थे।

महँगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन और पुतला दहन

केन्द्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी बढ़ोतरी के विरुद्ध फावरड ब्लॉक ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और केन्द्र सरकार का पुतला दहन किया।

साथी राम किशोर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जनता पर पहला हमला करते हुये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जिसे हर हाल में वापस लिया जाना चाहिये। प्रदर्शन में मुख्य रूप से पार्टी की वर्ग संगठन यूथ लीग की ओर से अभिमन्यु सिंह, और महिला कमिटी की ओर से सुश्री पुनम सिंह, एडवोकेट ने भाग लिया।